



## प्रेस नोट थाना मंडी धनौरा

दिनांक 03.05.2021

### विजय जुलूस निकाल रहे निर्वाचित प्रधान प्रत्याशी गिरफ्तार, पहुंचे हवालात ।

अवगत कराना है कि कल दिनांक 02.05.2021 को थाना मंडी धनौरा पर सूचना मिली की ग्राम सहबाजपुर गुर्जर में प्रधान पद पर जीता हुआ उम्मीदवार जितेन्द्र कुमार पुत्र होराम सिंह निवासी ग्राम सहबाजपुर गुर्जर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा अपने समर्थकों के साथ अपनी जीत का विजय जुलूस DJ बजाकर गांव में निकाल रहा है ।

उक्त सूचना पर उ0नि0 रामनिवास शर्मा मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे तो देखा कि गांव में मन्दिर के पास प्रधान पद का जीता हुआ उम्मीदवार जितेन्द्र कुमार उपरोक्त अपने समर्थक 1. राजीव पुत्र हरिशचन्द्र 2. रुपचन्द्र पुत्र कालीचरन 3. रवि पुत्र मदन 4. सुमित पुत्र बहादुर सिंह 5. योगेश पुत्र तेजपाल 6. श्रीमती सोमवती पत्नी होराम 7. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी जितेन्द्र 8. रोहताश पुत्र वेदप्रकाश 9. रुप सिंह पुत्र छोटन सैनी 10. कु0 बबीता पुत्र मदन निवासी ग्राम सहबाजपुर गुर्जर व 15-20 व्यक्ति अज्ञात के साथ बुलैरो पिकअप गाडी में रखे हुए DJ को बजाकर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये बिना आचार संहिता का उल्लंघन कर विजय जुलूस निकाल रहा था, मना करने के उपरान्त भी नहीं माना और कार सरकार में बाधा डालने पर कारण गिरफ्तारी बताकर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके अन्य समर्थक मौके से भागने में सफल रहे ।

उक्त विजय जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन करने, कोविड-19 गाइड लाईन का पालन न करने और कार सरकार में बाधा डालने के सम्बन्ध में थाना मंडी धनौरा पर मु0अ0स0 156/2021 धारा 188, 269, 270, 332 भादवि 3,4 महामारी अधि0 133 लोक प्रतिनिधित्व अधि0 बनाम जितेन्द्र कुमार, राजीव, रुपचन्द्र, रवि, सुमित, योगेश, श्रीमती सोमवती, श्रीमती लक्ष्मी, रोहताश, रुप सिंह, कु0 बबीता व अज्ञात पंजीकृत किया गया । बुलैरो पिकअप गाडी रजि0न0 UP23T 8155 को धारा 207 MV Act के अन्तर्गत सीज किया गया ।



#### गिरफ्तार प्रत्याशी:-

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र होराम सिंह निवासी ग्राम सहबाजपुर गुर्जर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामनिवास शर्मा थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
2. का0 314 चन्द्रशेखर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।
3. का0 295 हरेन्द्र सिंह थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा ।

**नोट:- जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाने, भीड़ इकट्ठा करने अथवा कोविड-19 गाइडलाइन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।**